कार्यालय/न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री संजय कुमार पाठक, ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, (सदस्य)
श्री दिनेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0 एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ, (सदस्य)

सर्वश्री रूचि इण्टरप्राईजेज,
तृतीय तल, राजपूत कॉम्पलेक्स, अमेठी
GSTIN- 09AOTPS3940Q1ZR **(आवेदक)**

आवेदक की ओर से :– श्री जयराम श्रीवास्तव (अधिवक्ता), श्री ओम कुमार (अधिवक्ता)
विभाग की ओर से :– ....

केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 तथा उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 की धारा–98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय।

श्री संजय कुमार पाठक (सदस्य)

केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 तथा उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 की धारा–98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय हेतु दाखिल प्रश्नगत आवेदन पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा प्रश्नगत आवेदन के माध्यम से निम्न बिन्दु पर अग्रिम विनिर्णय की अपेक्षा की गयी हैः–

Business of Trading- Debark/Bark Eucalyptus wood waste, debark/bark subabool wood, debark/bark poplar wood waste (length about 2 meter and its girth between 15 to 60Centimeter supply of paper mills.

आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अंकित उक्त बिंदु स्पष्ट नहीं है। इस तथ्य से सुनवाई के समय आवेदक को अवगत कराया गया, आवेदक द्वारा निम्न प्रकार संशोधित बिंदु शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गयाः–

That the deponent by rectifying himself, is clearly mentioning the names of commodities to be decided be Advance Ruling in relation to HSN 4401 as below:

DEBARK/BARK EUCALYPTUS WOOD WASTE, DEBARK/BARK SUABOOL WOOD WASTE, DEBARK/BARK POPLAR WOOD WASTE (LENGTH ABOUT 2 METER AND ITS GIRTH BETWEEN 15 TO 60 CENTIMETER) TO BE SUPPLIED TO PAPER MILLS FOR PULPING ONLY.

आवेदक द्वारा वाद की सुनवाई के समय अवगत कराया गया कि उनके द्वारा यूकेलिप्टस, सुलबुल तथा पॉपुलर की लकड़ी पेपर मिलों को सप्लाई की जाती है, उनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली लकड़ी की लम्बाई 3 फुट से 6 फुट तथा मोटाई 15 सेंटिमीटर से 60 सेंटिमीटर तक होती है। उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली लकड़ी WOOD WASTE होती है, जो HSN 4401 के अन्तर्गत वर्गीकृत है तथा 5 प्रतिशत

की दर से करयोग्य है। इसका उपयोग केवल जलौनी के रूप में अथवा पेपर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा लकड़ी/ WOOD WASTE की सप्लाई मुख्य रूप से पेपर मिलों से प्राप्त क्रय आदेश के विरूद्ध की जाती है। आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माल परिवहन के दौरान वाणिज्य कर विभाग की सचल दल इकाईयों द्वारा इसे रोक कर 5 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित अधिवक्ता श्री जयराम श्रीवास्तव तथा श्री ओम कुमार द्वारा युकेलिप्टस लकड़ी के कुछ फोटोग्राफ्स, विभिन्न पेपर मिलों द्वारा जारी क्रय आदेश, सर्वश्री ए0आई0ई0 वैली ट्रेडर्स प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ऑनिंग दि साऊथ ईस्टर्न रेलवे एण्ड दि रेलवे बोर्ड के वाद में रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल, चेन्नई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.1997 की प्रति लिखित स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत की गयी।

प्रश्नगत आवेदक उ0प्र0 वाणिज्य कर विभाग के क्षेत्राधिकार में है। आवेदक द्वारा मूल प्रार्थना पत्र डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–1, अमेठी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–1, अमेठी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु अग्रसारित किया गया था। अतः प्रश्नगत अग्रिम विनिश्चय प्रार्थना पत्र के संबंध में डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–1, अमेठी से प्रश्नगत प्रकरण में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–1, अमेठी द्वारा प्रेषित आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है। इस आख्या में निम्न तथ्य अंकित हैः–

1. व्यापारी द्वारा विभिन्न पेपर मिलों को पेपर मिलों द्वारा निर्धारित लम्बाई व गोलाई में युकेलिप्टस, सुबबूल तथा पाप्लर की लकड़ी की सप्लाई की जाती है तथा उक्त सप्लाई पर 5 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 का उद्ग्रहण किया जाता है।
2. उपरोक्तानुसार सप्लाई की जाने वाली वस्तु हेतु व्यापारी द्वारा HSN Code 4401 का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैः–

   " Wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms"
3. व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के अनुलग्नक के रूप में इनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तु के छायाचित्र भी संलग्न किए गए हैं तथा उक्त वस्तु को व्यापारी द्वारा वेस्ट वुड नाम से सप्लाई किया जाता है।
4. सर्वश्री रूचि इण्टरप्राईजेज, राजपूत कॉम्पलेक्स, अमेठी GSTIN- 09AOTPS3940Q1ZR के व्यापार स्थल की जाँच मेरी उपस्थिति में वि0अनु0शा0 इकाई रेन्ज–ए, फैजाबाद द्वारा की गई थी। सप्लाई की जाने वाली वस्तु को भौतिक रूप से देखने पर यह पाया गया कि सप्लाई की जाने वाली वस्तु HSN Code 4401 से आच्छादित नहीं है अपितु HSN Code 4403 अर्थात "wood in the rough" से आच्छादित है।
5. सर्वश्री रूचि इण्टरप्राईजेज राजपूत कॉम्पलेक्स, अमेठी द्वारा जारी एक इनवॉइस संख्या 04 दिनांक 04.04.2018 प्राप्त हुआ है, जिसके अन्तर्गत व्यापारी द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तु को "wood rough" घोषित करते हुए 18 प्रतिशत की दरसे जी0एस0टी0 का उद्ग्रहण किया गया है।
6. उपरोक्त दोनों व्यापारियों द्वारा इस कार्यालय में एक अलग–अलग दिनांक 24.04.2018 प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें सूचित किया गया है कि विगत दिनों में फर्म के विभिन्न वाहनों को प्रदेश की विभिन्न सचल दल इकाईयों द्वारा डिटेन किया गया तथा अर्थदण्ड जमा कराया गया। वाहनों को डिटेन करने का आधार वास्तविक कर की दर से कम दर से कर का उद्ग्रहण करना रहा है। सचल दल

इकाई के समक्ष भौतिक रूप से सप्लाई की जाने वाली वस्तु रहती है तथा इस प्रकार स्पष्ट है कि भौतिक रूप से सप्लाई की जाने वाली वस्तु पर 18 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

7. व्यापारी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.04.2018 में भी स्वीकार किया गया है कि अग्रिम विनिर्णय प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक इनके द्वारा 18 प्रतिशत की दर से कर का उद्ग्रहण करने का निर्णय लिया गया है।

प्रेषित आख्या पर विचार किया गया, वि0अनु0शा0 इकाई द्वारा व्यापार स्थल की जाँच के समय पाये गये किन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निगमित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। वि0अनु0शा0 इकाई की कार्यवाही पर टिप्पणी इस प्राधिकरण के अधिक्षेत्र में नहीं है, इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा विभिन्न Recipients को किस माल की सप्लाई की गयी है, यह भी स्पष्ट नहीं है। आवेदक अथवा अन्य सप्लायर्स द्वारा भेजे जा रहे ऐसे सम्व्यवहार, जिन्हें आवेदक के अनुसार वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा जाँच हेतु रोक कर 5 प्रतिशत की स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है, के सम्बंध में कोई विशिष्ट तथ्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। अतः इन बिंदुओं पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. 1/2017–Central Tax (Rate) दिनांक 28 जून, 2017 (समय–समय पर संशोधित) तथा इसके समतुल्य उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. KA.NI.-2-836/XI-9(47)/17-U.P Act-1-2017-Order-(06)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 (समय–समय पर संशोधित) के Schedule-I की प्रविष्टि क्रमांक–198 निम्नवत हैः–

S.No.	Chapter/Heading/Subheading/ Tariff item	Description of Goods	CGST, SGST Rate
198.	4401	Wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms	2.5%, 2.5%

जी0एस0टी0 व्यवस्था में वस्तुओं के वर्गीकरण के सम्बंध में कस्टम टैरिफ एक्ट के वर्गीकरण को अंगीकार किया गया है। चैप्टर–44 के Heading 4401 निम्नवत हैः–

44.01- FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWINGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS; WOOD IN CHIPS OR PARTICLES; SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED IN LOGS, BRIQUETTES, PELLERS OR SIMILAR FORMS.

4401.10- Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms

- Wood in chips or particles:

4401.21- Coniferous

4401.22- Non-coniferous

4401.30- Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs,

इस चैप्टर से सम्बंधित Explanatory Notes में wood waste and scrap को निम्न प्रकार Explain किया गया है:–

> **Wood waste and scrap**, not usable as timber. These materials are used in particular for pulping (manufacture of paper) and in the manufacture of particle board and fibreboard and as fuel. Such waste and scrap includes, saw mill or planning mill rejects; manufacturing waste; broken planks; old crates unusable as such; bark and shaving (whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms); other waste and scrap of joinery and carpentry; spent dyewood and tanning wood or bark.

टैरिफ हेडिंग–44.03- WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED (+) को निम्न प्रकार Explain किया गया है:–

The principal products classified here, when of the above description, include; timber for sawing; poles for telephone, telegraph or electrical power transmission lines; unpointed and unsplit piles, pickets, stakes, poles and props; round pit-props; logs, whether or not quarter-split for pulping; round logs for the manufacture of veneer sheets, etc. ; logs for the manufacture of match sticks, woodware, etc.

Telegraph, telephone or electrical power transmission poles are also to be classified in this heading when further trimmed with a draw knife or peeled with a mechanical peeler to a smooth surface ready for use. These poles are often painted, stained, varnished or impregnated with creosote or other substance.

उक्त Explanatory Notes से यह स्पष्ट है कि लकड़ी के ऐसे लट्ठे अथवा लट्ठों का ढेर, जो टिम्बर, बिजली अथवा टेलिफोन के पोल्स, बल्ली, माचिस की तीली बनाने, विनियर बनाने, वुडवेयर बनाने आदि कार्यों में प्रयोग नहीं किए जा सकते, वह Wood waste and scrap की श्रेणी में आयेंगें। Wood waste and scrap केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. 1/2017–Central Tax (Rate) दिनांक 28 जून, 2017 (समय–समय पर संशोधित) तथा इसके समतुल्य उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. KA.NI.-2-836/XI-9(47)/17-U.P Act-1-2017-Order-(06)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 (समय–समय पर संशोधित) के Schedule-I की प्रविष्टि क्रमांक–198 में समाहित हैं तथा इस पर 2.5 प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी0 तथा 2.5 प्रतिशत की दर से एस0जी0एस0टी0 की देयता है।

विनिर्णय

लकड़ी के ऐसे लट्ठे अथवा लट्ठों का ढेर, जो टिम्बर, बिजली अथवा टेलिफोन के पोल्स, बल्ली, माचिस की तीली बनाने, विनियर बनाने, वुडवेयर बनाने आदि कार्यों में प्रयोग नहीं किए जा सकते, वह Wood waste and scrap की श्रेणी में आयेंगें। Wood waste and scrap केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. 1/2017–Central Tax (Rate) दिनांक 28 जून, 2017 (समय–समय पर संशोधित) तथा इसके समतुल्य उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0. KA.NI.-2-836/XI-9(47)/ 17-U.P Act-1-2017-Order-(06)-2017 दिनांक 30 जून, 2017(समय–समय पर संशोधित) के Schedule-I

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण जी.एस.टी. उत्तर प्रदेश

की प्रविष्टि क्रमांक–198 में समाहित हैं तथा इस पर 2.5 प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी0 तथा 2.5 प्रतिशत की दर से एस0जी0एस0टी0 की देयता है।

14/6/18

(दिनेश कुमार)
एडिशनल कमिश्नर
(जी0एस0टी0 एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ।
(सदस्य)

14.06.2018

(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(सदस्य)

आदेश सं0 10 **अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण उ0प्र0** **दिनांक:** 14.06.2018

प्रतिलिपिः–

1. चीफ कमिश्नर, सेन्ट्रल जी0एस0टी0 एवं सेन्ट्रल एक्साइज, लखनऊ, सदस्य, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, सदस्य, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।
3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर, जोन–फैजाबाद के माध्यम से सम्बंधित क्षेत्राधिकार के करनिर्धारण अधिकारी हेतु।
4. ज्वाइण्ट कमिश्नर, सेन्ट्रल जी0एस0टी0 कमिश्नरेट, लखनऊ।
5. सर्वश्री रूचि इण्टरप्राईजेज, तृतीय तल, राजपूत कॉम्पलेक्स, अमेठी।

न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण जी.एस.टी. उत्तर प्रदेश